सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
आश्विन 05, मंगलवार, शाके 1944-सितम्बर 27, 2022 *Asvina 05, Tuesday , Saka 1944- September 27, 2022*	

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

आदेश

जयपुर, सितम्बर 27, 2022

संख्या प.2(च)( )/जांच/डीएलबी/2022/3699 :-श्रीमती सौम्या गुर्जर, महापौर एवं सदस्य वार्ड संख्या 87, नगर निगम, जयपुर ग्रेटर के विरूद्व प्राथमिक जांच में प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 39 के अन्तर्गत प्रकरण की न्यायिक जांच करवायी गई। न्यायिक जांच अधिकारी द्वारा न्यायिक जांच प्रकरण संख्या 244/2021 में पारित आदेश दिनांक 10.08.2022 में श्रीमती सौम्या गुर्जर, महापौर एवं सदस्य वार्ड संख्या 87, नगर निगम, जयपुर ग्रेटर को राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 39 (1) (घ) (ii) (iii) (vi) के अन्तर्गत दोषी पाया गया है।

अतः राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 39(4), 41 एवं 43 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा श्रीमती सौम्या गुर्जर, महापौर एवं सदस्य वार्ड संख्या 87, नगर निगम, जयपुर ग्रेटर को न्यायिक जांच रिपोर्ट दिनांक 10.08.2022 को दृष्टिगत रखते हुए तुरन्त प्रभाव से सदस्यता एवं महापौर पद से हटाते हुए आगामी 6 वर्ष की कालावधि तक पुर्ननिर्वाचन के लिए निर्योग्य घोषित करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

हृदेश कुमार शर्मा,
निदेशक एवं सयुंक्त सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।